पंचायत आम निर्वाचन, 2021

अत्यावश्यक

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

सत्यमेव जयते

पत्र संख्या- पं.नि. 30-95/2021 – 3424

प्रेषक,

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला दण्डाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)

पटना, दिनांक – 1.9.21

विषय : पंचायतों एवं ग्राम कचहरी का आम निर्वाचन,2021 – नाम निर्देशन से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में सूचित करना है कि बिहार पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के क्रम में नाम निर्देशन से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) सुलभ संकेत हेतु तैयार किया गया है। इस अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)की प्रति निर्वाची पदाधिकारी को भी उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। इसे आयोग के वेबसाईट पर भी संधारित किया गया गया है।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन,

सचिव।

ज्ञापांक - पं.नि.30-95/2015 – 3424 पटना, दिनांक – 1.9.21

प्रतिलिपि, आई.टी. मैनेजर आयोग के वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक - पं.नि.30-95/2015 – 3424 पटना, दिनांक – 1.9.21

प्रतिलिपि, सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक - पं.नि.30-95/2015 – 3424 पटना, दिनांक – 1.9.21

प्रतिलिपि, अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

Sone Bhawan, Third Floor, Birchand Patel Marg, Patna - 800 001 Phone : 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax : 0612 - 2507847 E-mail : secbihar@gmailcom

नाम निर्देशन से संबंधित एफ.ए.क्यू. (FAQ)

प्र0– नामांकन के समय निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष कितने व्यक्ति नामांकन कक्ष में जा सकते है?

उ0– अभ्यर्थी तथा उसका प्रस्तावक।

प्र0– अनारक्षित वर्ग के लिए निर्धारित पद पर आरक्षित वर्ग का व्यक्ति निर्वाचन लड़ सकता है या नहीं?

उ0– हाँ, लड़ सकता है, तथा उसे आरक्षित वर्ग का प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करने पर नाम निर्देशन शुल्क में भी रियायत मिल सकती है।

प्र0– क्या 'प्रपत्र–5' में 'सूचना का प्रकाशन' प्रत्येक चरण के लिए अलग–अलग होगा?

उ0– हाँ, जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) द्वारा।

प्र0– नाम निर्देशन प्रारम्भ की तिथि क्या होगी?

उ0– प्रपत्र–5 में 'सूचना का प्रकाशन' के अगले दिन से सातवें दिन तक।

प्र0– क्या निर्वाची पदाधिकारी के नामांकन कक्ष में प्रस्तावक द्वारा किसी अभ्यर्थी का नाम निर्देशन पत्र जमा किया जा सकता है?

उ0– नहीं, नाम निर्देशन पत्र केवल अभ्यर्थी द्वारा ही निर्वाची पदाधिकारी के नामांकन कक्ष में प्रस्तुत किया जाएगा।

प्र0– नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की समयावधि क्या है?

उ0– पूर्वाहन् 11:00 बजे से 04:00 बजे अपराहन् तक।

प्र0– अभ्यर्थी द्वारा कितने सेट में नामांकन पत्र दाखिल किया जा सकता है?

उ0– अधिकतम दो सेट में।

प्र0– नाम निर्देशन पत्र कौन–कौन प्राप्त कर सकता है?

उ0– निर्वाची पदाधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में प्राधिकृत सहायक निर्वाची पदाधिकारी।

प्र0– नाम निर्देशन पत्र कहाँ प्राप्त किया जाएगा?

उ0– प्रपत्र–5 में अंकित स्थल पर ही नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किया जाएगा, किसी अन्य स्थल पर नहीं।

प्र0– क्या नाम निर्देशन पत्र डाक के माध्यम से भी भेजा जा सकता है?

उ0– नहीं, नाम निर्देशन पत्र अभ्यर्थी द्वारा स्वंय निर्धारित नामांकन दाखिल करने के स्थल पर जमा किया जाएगा।

प्र0– नाम निर्देशन करते समय अभ्यर्थी कौन–कौन से दस्तावेज जमा करेगा?

उ0– (i) नाम निर्देशन पत्र– प्रपत्र–06

(ii) अनुसूची– I –बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 136 के प्रावधानों का ज्ञान होने संबंधी शपथ पत्र (अभ्यर्थी)

(iii) अनुसूची–II – मतदाता सूची में नाम अंकित होने संबंधी शपथ पत्र (अभ्यर्थी तथा प्रस्तावक)

(iv) अनुसूची– III – शपथ

III क – आपराधिक पूर्ववृत, सम्पत्ति तथा शैक्षणिक योग्यता संबंधी शपथ पत्र

III ख – अभ्यर्थी का बायोडाटा

(v) नाजिर रसीद (मूल में) (नामांकन पत्र के दूसरे सेट में नाजिर रसीद की छायाप्रति मान्य)

(vi) जाति प्रमाण पत्र, मूल में (यदि लागू हो)

(vii) अभ्यर्थी का अद्यतन दो फोटो

प्र0– पंचायत आम निर्वाचन, 2021 का अभ्यर्थी होने के लिए व्यक्ति को न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?

उ0– संवीक्षा की प्रथम तिथि को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।

प्र0– प्रस्तावक की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?

उ0– संवीक्षा के प्रथम तिथि को न्यूनतम आयु 21 वर्ष।

प्र0– पंचायत आम निर्वाचन, 2021 में अभ्यर्थी की योग्यता क्या है?

उ0– (i) पंचायत की निर्वाचक सूची में नाम होना।

(ii) आयु कम से कम 21 वर्ष हो।

(iii) आरक्षित वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षित श्रेणी का हो।

(iv) धारा–136 के अधीन निरर्हित न हो।

प्र0– क्या आशा कार्यकर्त्ता पंचायत निर्वाचन में अभ्यर्थी/प्रस्तावक बन सकती है?

उ0– हाँ, बशर्ते अभ्यर्थी/प्रस्तावक बनने को अर्हता धारण करते हो।

प्र0– क्या जन वितरण प्रणाली विक्रेता पंचायत निर्वाचन में अभ्यर्थी/प्रस्तावक बन सकते है?

उ0– हाँ, बशर्ते वे अभ्यर्थी/प्रस्तावक बनने की अर्हता धारण करते हो।

प्र0– क्या आंगनवाड़ी सेविका/सहायिका पंचायत निर्वाचन में अभ्यर्थी/प्रस्तावक बन सकते है?

उ0– नहीं।

प्र0– क्या एक व्यक्ति एक से अधिक अभ्यर्थी का प्रस्तावक बन सकता है?

उ0– किसी पद विशेष के लिए कोई व्यक्ति एक से अधिक अभ्यर्थी का प्रस्तावक नहीं बन सकता है।

प्र0– क्या अभ्यर्थी किसी दूसरे अभ्यर्थी का प्रस्तावक बन सकता है?

उ0– नहीं।

प्र0– लाभ के पद से त्याग पत्र की स्वीकृति की निर्धारित समय सीमा क्या है?

उ0– अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जाने के पूर्व लाभ के पद से त्यागपत्र की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार द्वारा होनी चाहिए।

प्र0– क्या अभ्यर्थी द्वारा अभ्यर्थिता वापसी (प्रपत्र–8) के उपरांत उसको नाम निर्देशन शुल्क वापस किया जाएगा?

उ0– नाम निर्देशन शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा।

प्र0– नाम निर्देशन पत्र में किसी लिपिकीय त्रुटि होने पर या नाम निर्देशन पत्र का कोई कॉलम अभ्यर्थी द्वारा भरा हुआ नहीं होने पर निर्वाची पदाधिकारी द्वारा क्या कार्यवाही की जा सकती है?

उ0– नाम निर्देशन पत्र के किसी लिपिकीय त्रुटि होने पर या नाम निर्देशन पत्र का कोई कॉलम अभ्यर्थी द्वारा भरा हुआ नहीं होने पर निर्वाची पदाधिकारी द्वारा उसे अभ्यर्थी से पूर्ण कराया जाएगा।

प्र0– संवीक्षा के दौरान यदि किसी अभ्यर्थी का नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत किया जाता है, तो इस परिस्थिति में क्या नाम निर्देशन शुल्क वापस किया जाएगा?

उ0– नहीं, नाम निर्देशन शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।

प्र0– नामांकन पत्र की संवीक्षा कौन–कौन कर सकता है?

उ0– नामांकन पत्र की संवीक्षा निर्वाची पदाधिकारी तथा प्राधिकृत सहायक निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा किया जा सकता है परंतु नामांकन पत्र को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार केवल निर्वाची पदाधिकारी को है।

प्र0– संवीक्षा के समय निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष में कौन–कौन उपस्थित रह सकता है?

उ0– संवीक्षा के समय निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष में अभ्यर्थी अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्त्ता या प्रस्तावक उपस्थित रह सकता है।

प्र0– क्या प्रस्तावक स्वयं उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का अभ्यर्थी बन सकता है?

उ0– नहीं।

प्र0– क्या कोई महिला किसी अनारक्षित सीट से निर्वाचन लड़ सकती है?

उ0– हाँ।

प्र0– विभिन्न पदों के लिए नाम निर्देशन शुल्क कितना है?

उ0–

		सामान्य	महिला/अ0जा0/अ0ज0जा0/पिछड़ा वर्ग हेतु
1.	ग्राम कचहरी के पंच तथा ग्राम पंचायत सदस्य	250/–	125/–
2.	ग्राम पंचायत मुख्या, सरपंच तथा पंचायत समिति सदस्य	1000/–	500/–
3.	जिला परिषद् सदस्य	2000/–	1000/–

प्र0– आरक्षित श्रेणी का व्यक्ति यदि अनारक्षित सीट से अपना नामांकन करता है तो क्या होगा?

उ0– आरक्षित श्रेणी का व्यक्ति यदि अनारक्षित सीट से अपना नामांकन पत्र जमा करता है तो यदि वह अपने मूल जाति प्रमाण पत्र के साथ अपना नामांकन पत्र एवं आरक्षित श्रेणी हेतु निर्धारित नाम निर्देशन शुल्क जमा करता है तो उसके नाम निर्देशन पत्र को इस आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जाएगा कि वह व्यक्ति आरक्षित श्रेणी का है। परंतु यदि वह अपना जाति प्रमाण पत्र नहीं जमा करता है तथा आरक्षित श्रेणी हेतु निर्धारित नाम निर्देशन शुल्क जमा करता है

तो उस स्थिति में नाम निर्देशन शुल्क के आधार पर उसके नामांकन पत्र को अस्वीकृत किया जा सकता है।

प्र0– अभ्यर्थिता वापस लिए जाने का समय क्या है?

उ0– अभ्यर्थिता वापसी के लिए निर्धारित दिवस को पूर्वाह्न –11:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक।

प्र0– अभ्यर्थिता वापसी हेतु निर्धारित प्रपत्र कौन सा है?

उ0– प्रपत्र–8

प्र0– प्रपत्र–8 में अभ्यर्थिता वापसी के लिए आवेदन देने पर क्या अभ्यर्थी को दोनो सेट का नामांकन से वापसी हो जाता है?

उ0– हाँ, दो सेट में नाम निर्देशन पत्र भरे जाने के उपरांत भी यदि अभ्यर्थी प्रपत्र–8 में ऐ प्रति में आवेदन देकर अभ्यर्थिता वापस लेता है तो सभी नाम निर्देशन पत्र से दाखिल उसकी अभ्यर्थिता वापस हो जाती है।

प्र0– क्या अभ्यर्थिता वापसी का आवेदन प्रस्तावक द्वारा जमा किया जा सकता है?

उ0– नहीं, प्रपत्र–8 में आवेदन स्वयं अभ्यर्थी द्वारा जमा किया जाएगा।

प्र0– क्या प्रपत्र–8 में प्राप्त अभ्यर्थिता वापसी के आवेदन को पुनः आवेदन को वापस किया जा सकता है?

उ0– नहीं, एक बार अभ्यर्थिता वापसी का आवेदन स्वीकृत होने पर इसे वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

प्र0– अभ्यर्थिता वापसी की समय सीमा समाप्त होने पर निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची किस प्रपत्र में बनती है?

उ0– प्रपत्र–9

प्र0– प्रपत्र–9 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों का नाम किस लिपि के अनुसार व्यवस्थित किया जाएगा?

उ0– देवनागरी लिपि के अनुसार हिन्दी में नाम के प्रथम अक्षर के अनुसार प्रपत्र–9 तैयार होगा।

प्र0– नाम का प्रथम अक्षर समान होने पर प्रपत्र–9 में किस अभ्यर्थी का नाम पहले आएगा?

उ0– अभ्यर्थी के नाम का प्रथम अक्षर समान होने पर जिस अभ्यर्थी का नाम निर्देशन पत्र पहले प्राप्त हुआ है उसे प्रपत्र–9 में पहले रखा जाएगा।

प्र0– यदि दो या अधिक अभ्यर्थी का प्रथम नाम समान हो तो किस अभ्यर्थी का नाम किस प्रकार व्यवस्थित किया जाएगा?

उ0– दो या अधिक अभ्यर्थियों का प्रथम नाम एक ही हो तो नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति के क्रम में संख्यानुसार उनका वर्णनुक्रम तय करते हुए अलग–अलग पहचान के लिए उनके नाम के समक्ष कोष्ठक में क्रमशः (1), (2), (3) आदि अंकित किया जाएगा।

प्र0– यदि किसी स्थान के लिए अभ्यर्थिता वापस लिए जाने के पश्चात केवल एक ही अभ्यर्थी शेष रहता है और उसका नाम निर्देशन पत्र वैध पया गया हो तो इस परिस्थिति में निर्वाची पदाधिकारी द्वारा क्या किया जाएगा?

उ0– उक्त परिस्थति में निर्वाची पदाधिकारी उस निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रपत्र–13 में उसे विधिवत् निर्वाचित घोषित करेंगे तथा उसकी सूचना जिला निर्वाचन पदाधिकारी को देंगे।

प्र0– विभिन्न पदों के अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा क्या है?

उ0– पंच एवं ग्राम पंचायत सदस्य हेतु – रू0 20,000/–

पंचायत समिति सदस्य हेतु – रू0 30,000/–

मुखिया एवं सरपंच हेतु – रू0 40,000/–

जिला परिषद् सदस्य हेतु – रू0 1,00,000/–

प्र0– निर्वाचन व्यय संबंधी विवरणी जमा करने हेतु निर्धारित प्रपत्र कौन से है?

उ0– प्रपत्र–29 एवं 30

प्र0– प्रत्येक अभ्यर्थी को अपना निर्वाचन व्यय संबंधी विवरणी कब तक दाखिल करना होता है?

उ0– जिला गजट में निर्वाचन परिणाम के प्रकाशन को तिथि से 15 दिनों के अंदर।

प्र0– अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन अभिकर्त्ता नियुक्त करने संबंधी प्रपत्र कौन सा है?

उ0– प्रपत्र–10

प्र0– निर्वाचन अभिकर्त्ता बनने की योग्यता क्या है?

उ0– पंचायत के किसी निर्वाचन में मतदान करने या निर्वाचित होने के लिए योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को निर्वाचन अभिकर्त्ता के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

नोटः यह FAQ अभ्यर्थी/निर्वाची पदाधिकारी/सहायक निर्वाची पदाधिकारी आदि की सुविधा तैयार किया गया है। किसी भी संशय की स्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत निदेश, बिहार पंचायत राज अधिनियम, एवं नियमावली में वर्णित प्रावधान लागू होगा।